



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गाजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

“सार्वजनिक सूचना”

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश एवं लीज होल्डर श्री हर्षित पुत्र श्री वेद प्रकाश द्वारा खसरा संख्या-321 मी0, ग्राम-ढरगल, तहसील व जिला गाजियाबाद पर भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 400.00 वर्ग मी0 भूमि पर ऑनलाईन पोर्टल FASTPAS के माध्यम से रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल पम्प) क्रिया की स्वीकृति हेतु मानचित्र संख्या-GDA/BP/MS/2026-27/41073 प्रस्तुत किया गया है। भू-उपयोग की आख्या के अनुसार खसरा संख्या-321 मी0, ग्राम-ढरगल, तहसील व जिला गाजियाबाद का भू-उपयोग 18.00 मीटर चौड़े जोनल मार्ग के मार्गाधिकार की भूमि छोड़ने के उपरान्त शेष भाग 'संस्थागत क्षेत्र' के अन्तर्गत प्रदर्शित है। संस्थागत क्षेत्र के अन्तर्गत (पेट्रोल / डीजल पम्प) क्रिया सशर्त अनुमन्य है। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन, 2025 प्रभावी है, जिसके अनुसार अनिर्मित क्षेत्र में न्यूनतम 18.00 मी0 चौड़ा भार्ग अनिवार्य है। उक्त प्रस्तावित स्थल “नया रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल पम्प)” क्रिया हेतु 18.00 मी0 चौड़े जोनल मार्ग पर है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन-सामान्य से एक माह हेतु आपत्ति / सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं यदि कोई व्यक्ति / संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति / सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति / सुझाव जन सम्पर्क कार्यालय एवं कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त के प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति / सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेंगा।

सचिव

ई-मेल : help@negda@gmail.com,



: @ Gda Ghazlabad



: @ gdagzb

हेल्पलाईन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाईट: www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प